<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 464

19 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति

464. श्री टी० जी० वेंकटेश:

डा० प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय इस्पात नीति प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित इस्पात नीति में झारखंड और आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना किया जाना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 भारत के राजपत्र में दिनांक 8 मई 2017 को अधिसूचित कर दी गई है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में यह प्रत्याशा की गई है कि वर्ष 2030-31 तक 300 एम टी क्रूड इस्पात क्षमता की आवश्यकता होगी। सरकार खनिज संसाधन से संपन्न झारखंड राज्य में अन्य के साथ-साथ एस. पी. वी. की स्थापना को सुविधाजनक बनाएगी।

*****